पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण 01, 1944

वीरवारः 14 जुलाई 2022

सरकार पूर्वसैनिकों के कल्याण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी: रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट

रक्षा राज्य मंत्री ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूर्वसैनिकों के आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया

श्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड में ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक भवनों की आधारशिला रखी, पूर्वसैनिकों को ईसीएचएस स्वास्थ्य कार्ड और नियुक्ति पत्र वितरित किए

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज 14 जुलाई 2022 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूर्वसैनिकों के आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय के पूर्वसैनिक कल्याण विभाग द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया

एक दिन के आउटरीच कार्यक्रम में, रक्षा राज्य मंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से राज्य भर में विकासनगर, रायवाला और पौडी गढ़वाल में ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक भवनों की आधारशिला रखी और पूर्वसैनिकों तथा उनके आश्रितों को 64-केबी ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड दिए। उन्होंने पूर्वसैनिकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए।

इस अवसर पर श्री अजय भट्ट ने आस-पास के क्षेत्रों के पूर्वसैनिकों की विशाल जनसभा को संबोधित किया।

अपने संबोधन में रक्षा राज्य मंत्री ने पूर्वसैनिकों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि इस देश के नागरिक सशस्त्र बलों की वीरता के कारण सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पूर्वसैनिक समुदाय के कल्याण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मातृभूमि के लिए सशस्त्र बलों के समर्पण और बलिदान की पूर्णतः क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, हालांकि, सरकार सभी परिस्थितियों में पूर्वसैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' (ओआरओपी) के तहत 50,000 करोड़ रुपये वितरित किए हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पेंशन योजना को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वर्तमान में सरकार द्वारा पूर्वसैनिकों के कल्याण के लिए शुरू किए गए उपायों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने रेखांकित किया कि पूर्वसैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए समर्पित रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल शुरू किया गया है।

रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,84,198 पूर्वसैनिकों/आश्रितों को वित्तीय सहायता के रूप में 398.18 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए संशोधित स्कूटर की खरीद, किर्की और मोहाली में स्ट्रोक्स रिसेट्टलमेंट सेंटर और वार मेमोरियल हॉस्टल के लिए अनुदान के रूप में 1.71 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

रक्षा राज्य मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) के लिए 320 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि प्रदान किए

जाने का उल्लेख किया और कहा कि 7583 आवेदकों के लिए शिक्षा अनुदान के रूप में 284 करोड़ रुपये की राशि और विवाह अनुदान के रूप में 36 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

श्री अजय भट्ट ने कुष्ठ रोगियों, मानसिक रूप से विकलांग रोगियों और अन्य गंभीर तथा टीबी रोगियों की देखभाल करने वाले चेशिर होम्स के बारे में बताया और कहा कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021 से नई दिल्ली और लखनऊ में चेशिर होम्स और देहरादून में रफाल रीयडर इंटरनेशनल चेशिर होम के लिए प्रति निवासी वार्षिक अनुदान राशि 9,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी है।

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के तहत 15,957 लाभार्थियों को कुल 53.24 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। उन्होंने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 से, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि को 24000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति वर्ष और छात्राओं के लिए 27000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।

पूर्वसैनिकों के पुनर्वास का जिक्र करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 32,209 पूर्व सैनिकों का पुनःस्थापन किया गया है। इस संख्या में वे पूर्वसैनिक भी शामिल हैं जिन्हे पहले डीजीआर के माध्यम से नियुक्ति दी गई थी और जिनके अनुबंधों को अप्रैल 2021 से नवीनीकृत किया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान डीजीआर द्वारा कुल 10,871 पूर्वसैनिकों को नई नियुक्तियां दी गईं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस संख्या को और बढ़ाने की योजना है

पूर्वसैनिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पर श्री अजय भट्ट ने कहा कि ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित

नियमों को अंशकालिक आधार पर डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए संशोधित किया गया है ताकि इन ग्रेडों में पूर्णकालिक कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न कमी को पूरा किया जा सके।

"सरकार हमारे पूर्वसैनिकों को उच्चतम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है," रक्षा राज्य मंत्री ने दोहराया।

रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने खुले बाजार से उपलब्ध दवाओं और उपभोग्य वस्तुओं की खरीद की समयावधि को भुगतान के आधार पर 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कैंसर की दवाओं की खरीद के लिए अधिकतम राशि भी 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।

सचिव (पूर्वसैनिक कल्याण) श्री बी आनंद ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम "संपूर्ण सरकारी पहुंच" की परिकल्पना पर आधारित था, जिसमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी), पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के साथ-साथ पूर्व सैनिक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और महानियंत्रक रक्षा लेखा (सीजीडीए), स्थानीय कमान फॉरमेशनों और राज्य सरकार के राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्डों और जिला प्रशासनों को प्रदर्शित किया गया और हल्द्वानी के पास स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले पूर्वसैनिकों की शिकायतों को उनसे संबंधित को अवगत कराया गया।

सचिव (पूर्वसैनिक कल्याण) ने कहा कि उत्तराखंड में लगभग 1.34 लाख पूर्वसैनिक हैं और यह शीर्ष 5 राज्यों में से एक है जहां 100 में से हर एक व्यक्ति पूर्वसैनिक है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह के आउटरीच कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे।

इस कार्यक्रम की अन्य विशेषताओं में पूर्वसैनिकों /आश्रितों के लिए चिकित्सा शिविर, रक्षा पेंशन समाधान आयोजन (पेंशन लोक अदालत) और स्पर्श आउटरीच, पूर्वसैनिकों/विधवाओं/उनके आश्रितों के लिए कल्याण/पुनर्स्थापन योजनाओं के स्टॉल,

पूर्वसैनिकों/उनके आश्रितों को शिक्षा/विवाह अनुदान/अन्य कल्याणकारी योजनाओं का संवितरण/पूर्वसैनिकों/वीर नारियों/उनके आश्रितों के साथ बातचीत और स्थानीय प्रशासन से संबंधित समस्याओं के लिए शिकायत डेस्क शामिल हैं।

इस आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण के सचिव के नेतृत्व में एक दल द्वारा किया गया था। कार्यक्रम का समन्वय केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा क्षेत्रीय सैनिक बोर्ड, उत्तराखंड के सहयोग से किया गया था।

एबीबी/डीएस